न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, उन्नीस, मुजफ्फरपुर।
सत्र वाद संख्या–573/2023

02.08.2023 आवेदक अभियुक्त अवध सिंह के तरफ से धारा 227 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन पत्र पर उभयपक्षों को सुना।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और उसे उसके शत्रुओं के कारण पुलिस द्वारा इस झूठे केस में फंसाया गया है। इससे पूर्व आवेदक अभियुक्त की ओर से धारा 227 दं0प्र0सं0 का कोई आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप असत्य एवं मनगढंत है। आवेदक अभियुक्त के पास से अपराध में संलिप्तता संबंधी कोई सामग्री बरामद नहीं हुयी है। पुलिस द्वारा बिना उचित अनुसंधान किये आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित कर दिया गया है और तदनुसार संज्ञान ले लिया गया है। आवेदक अभियुकत के विरूद्ध लगाए गए आरोप निराधार है। अभिलेख पर आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य सामग्री नहीं है, जिस आधार पर आवेदक अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सके। यदि आवेदक अभियुक्त को आरोप से उन्मोचित नहीं किया जाता है तो यह उसके लिए अपूर्णनीय क्षति होगी और विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा। अभिलेख पर आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 324, 307, 504/34 भा0द0वि0 में आरोप गठित करने हेतु कोई साक्ष्य समग्री उपलब्ध नहीं है। अतः न्यायहित में आवेदक अभियुक्त के आवेदन अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 को स्वीकृत करते हुये उसे इस केस के आरोपों से उन्मोचित किया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियेाजक का तर्क है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद है, जिसके विरूद्ध प्राथमिकी में अन्य अभियुक्तों के साथ नशे की हालत में छुरा से सूचक के पेट पर प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया है। अनुसंधानोंपरान्त अनुसंधानकर्त्ता द्वारा आवेदक अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 341, 324, 307, 504/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया गया है। तद्नुसार विद्वान न्यायालय, श्री जावेद आलम, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुजफ्फरपुर के द्वारा विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये आवेदक अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 341, 324, 307, 504/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है और विद्वान न्यायालय द्वारा संतुष्ट होने के पश्चात संज्ञानोपरांत वाद अभिलेख को दौरा सुपुर्द किया गया है। उनका यह भी कथन है कि कांड दैनिकी में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। यह कि आरोप गठन के समय न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री का कठोर विवेचन अवश्यक नहीं है। यह कि आरोप गठन के स्तर पर साक्ष्य के विवेचन तथा निर्णय के स्तर पर साक्ष्य के विवेचन में अंतर होता है। उनका यह भी कथन है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि कण मात्र भी साक्ष्य सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध है तो विचारण की कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः आवेदक अभियुक्त के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन खारिज किया जाये।

उभयपक्षों को सुना। वाद अभिलेख, प्राथमिकी व आरोप–पत्र के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि, आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद है, जिसके विरूद्ध प्राथमिकी में अन्य अभियुक्तों के साथ नशे की हालत में छुरा से सूचक के पेट पर प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया है। अनुसंधानोंपरान्त अनुसंधानकर्त्ता द्वारा आवेदक अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 341, 324, 307, 504/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया गया है। तद्नुसार विद्वान न्यायालय, श्री जावेद आलम, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुजफ्फरपुर के द्वारा विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये आवेदक अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 341, 324, 307, 504/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है औरविद्वान न्यायालय द्वारा संतुष्ट होने के पश्चात संज्ञानोपरांत वाद अभिलेख को दौरा सुपुर्द किया गया

लगातार

02.08.2023 है। मूल अभिलेख के साथ संलग्न कांड दैनिकी के कंडिका 5, 6, 7, 8, 9, 32, 33, 34, 39, 45, 91 में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत अरोप–गठन करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

उपरोक्त तथ्यों, उभयपक्ष के तर्को, वाद की परिस्थितियों के विवेचनोपरांत आवेदक अभियुक्त अवध सिंह के तरफ से धारा 227 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 28.07.2023 को स्वीकृत करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा धारा 227 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन–पत्र दिनांक 28.07.2023 को अस्वीकृत किया जाता है। आवेदक अभियुक्त आरोप–गठन हेतु सदेह उपस्थित रहें।

दिनांक आरोप गठन हेतु।

लेखापित,

Sd/-

अपर सत्र न्यायाधीश, उन्नीस, मुज0।